सर्वोच्च प्राथमिकता

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1. **मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),**
समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. **जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
समस्त जनपद, लखनऊ।

पत्रांक : शि0नि0(बेसिक)/ /2019–20, दिनांकः अक्टूबर, 2019

विषयः– 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' में कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन एवं उपस्थिति माड्यूल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 889/68–5–2019, दिनांक 04 अक्टूबर, 2019 **(छायाप्रति संलग्न)** एवं शासनादेश संख्या 783/68–5–2019, दिनांक 02 सितम्बर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' में कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन एवं उपस्थिति माड्यूल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में है।

सूच्य है कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2019 को **'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क'** शुभारम्भ किया गया है। **शीघ्र ही मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यालय में ''प्रेरणा'' प्रणाली के विभिन्न घटकों के निरीक्षण के लिए डैशबोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि प्रेरणा ऐप के 07 घटकों की जनपदवार प्रगति से त्वरित रूप से अवगत हुआ जा सके।**

उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जायः–

(1) **''कायाकल्प'' मॉडयूल** के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं या अन्य सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक द्वारा अपने विद्यालय से संबंधित **आधारभूत व्यवस्थाओं का बेसिक डेटा ''प्रेरणा प्रणाली'' पर ऐप के माध्यम से अधिकतम दिनांक 20 अक्टूबर, 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय,** जिससे कि पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित करते हुए यथा–आवश्यक अवस्थापना सुविधायें संतृप्त की जा सकें। तत्पश्चात् प्रत्येक माह विद्यालय से संबंधित आधारभूत व्यवस्थाओं का डेटा अद्यावधिक किया जायेगा।

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर समस्त विद्यालयों का डाटा प्राप्त होते ही खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बैठक कर सामंजस्य स्थापित करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्तीकरण के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। उक्त के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा समय–समय पर समीक्षा करते हुए यथा–आवश्यक दिशा–निर्देश एवं नेतृत्व प्रदान किया जाएगा।

(2) **''मध्यान्ह भोजन'' मॉडयूल** के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा तृतीय त्रैमास (अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019) की मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित कुल छात्रों की आगणित संख्या एवं कार्य दिवस की सूचना प्रेरणा प्रणाली पर दर्ज की जायेगी, जिससे कि तद्नुसार बजट तथा खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ePDS प्रणाली लागू कर दिया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान अक्टूबर माह से केवल ई–पॉश मशीनों के माध्यम से किया जाना है। तत्क्रम में प्रत्येक विद्यालय से आगणित छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर ही माँग–पत्र प्रेषित किया जाना है, जिससे कि बजट एवं खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

इस संदर्भ में प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित कुल छात्रों की संख्या एवं कार्यदिवस की सूचना प्रेरणा प्रणाली पर माह की समाप्ति के

उपरान्त आगामी **माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी। तद्नुसार ''मध्यान्ह भोजन'' मॉडयूल के अन्तर्गत एम0पी0आर0 बॉक्स में अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 से संबंधित सूचना आगामी माह की 10 की तारीख तक प्रेरणा प्रणाली पर अनिवार्यतः अंकित की जायेगी।**

(3) **''उपस्थिति'' मॉडयूल** के अन्तर्गत विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति तथा संख्या अंकित किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही प्रार्थना सभा एवं मध्यान्ह भोजन के समय छात्र–छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित किये जाने के आदेश प्रदत्त हैं।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक के निवर्तन पर एक टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में क्रय प्रक्रिया गतिमान है। टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स्वयं के माध्यम से वर्तमान में अपलोड की जा रही उपस्थिति उपलब्ध कराये गये टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जानी अनिवार्य रहेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

14.10.19

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन सं0: शि0नि0(बेसिक)/ /2019–20, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(2) सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
(3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
(7) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
(8) निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
(9) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(11) सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
(12) अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, प्रयागराज।
(13) सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, प्रयागराज।
(14) संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिविर कार्यालय, उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
(15) उपशिक्षा निदेशक (प्रा0), उ0प्र0, निशातगंज, लखनऊ।
(16) समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (द्वारा–जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)
(17) समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।

14.10.19

डॉ0(सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह),
शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

O/C

E-mail 11-10-2019
05.07 pm

कार्यालय, शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ
संख्याः शिविर (बे0)/1/ 1168 /201
दिनांक : 11-10-19

उत्तर प्रदेश शासन
बेसिक शिक्षा अनुभाग–5
संख्याः 889 I/68–5–2019
लखनऊः दिनांक : 5 अक्टूबर, 2019

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' में कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन एवं उपस्थिति माडयूल के कियान्वयन के संबंध में शासनादेश संख्या–889/68–5–2019, दिनांक 04–10–2019 की मूल प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त शासनादेश को सभी संबंधित को अपने स्तर से तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

(उमेश कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

संबंधित समस्त को ई-मेल करा दिया गया

U.O.Letter.doc

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्याः 889 /68–5–2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

2– **समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनाँकः 04 अक्टूबर, 2019

विषयः **'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' में कायाकल्प, मध्यान्ह भोजन एवं उपस्थिति माडयूल के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में बेसिक शिक्षा के क्रियान्वयन हेतु 'प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क' लागू किये जाने संबंधी निर्गत शासनादेश संख्याः 783/68–5–2019, दिनाँक 02 सितम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आप अवगत ही हैं कि प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनाँक 04 सितम्बर, 2019 को प्रेरणा तकनीकी फ्रेमवर्क का शुभारम्भ किया गया है। **शीघ्र ही मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय एवं मा0 बेसिक शिक्षा मंत्री कार्यालय में ''प्रेरणा'' प्रणाली के विभिन्न घटकों के निरीक्षण के लिए डैशबोर्ड स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि प्रेरणा ऐप के 07 घटकों की जनपदवार प्रगति से त्वरित रूप से अवगत हुआ जा सके।**

2– उपर्युक्त शासनादेश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय :–

(1) **''कायाकल्प'' मॉडयूल** के अन्तर्गत प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक स्वयं या अन्य सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक द्वारा अपने विद्यालय से सम्बन्धित **आधारभूत व्यवस्थाओं का बेसिक डेटा "प्रेरणा प्रणाली" पर ऐप के माध्यम से अधिकतम दिनाँक 20 अक्टूबर, 2019 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जाय**, जिससे कि पंचायत राज विभाग एवं नगर विकास विभाग से समन्वय स्थापित कर चरणबद्ध लक्ष्य निर्धारित करते हुए यथा–आवश्यक अवस्थापना सुविधायें संतृप्त की जा सकें। तत्पश्चात् प्रत्येक माह विद्यालय से सम्बन्धित आधारभूत व्यवस्थाओं को डेटा अद्यावधिक किया जायेगा।

प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर समस्त विद्यालयों का डाटा प्राप्त होते ही खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा बैठक कर सामंजस्य स्थापित करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के अन्तर्गत संतृप्तीकरण के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा समय–समय पर समीक्षा करते हुए यथा आवश्यक दिशा–निर्देश एवं नेतृत्व प्रदान किया जाएगा।

(2) **''मध्यान्ह भोजन'' मॉडयूल** के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा तृतीय त्रैमास (अक्टूबर, 2019 से दिसम्बर, 2019) की मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित कुल छात्रों की आगणित संख्या एवं कार्य दिवस की सूचना प्रेरणा प्रणाली पर दर्ज की जायेगी जिससे कि तदनुसार बजट तथा खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम के अन्तर्गत ePDS प्रणाली लागू कर दिया गया है और यह निर्देशित किया गया है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत खाद्यान्न का उठान अक्टूबर माह से केवल ई–पॉश मशीनों के माध्यम किया जाना है। तत्क्रम में प्रत्येक विद्यालय से आगणित छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर ही माँगपत्र प्रेषित किया जाना है, जिससे कि बजट एवं खाद्यान्न का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

इस सन्दर्भ में प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना से लाभान्वित कुल छात्रों की संख्या एवं कार्यदिवस की सूचना प्रेरणा प्रणाली पर माह की समाप्ति के उपरान्त आगामी **माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से अंकित की जायेगी। तद्नुसार ''मध्यान्ह भोजन'' मॉडयूल के अन्तर्गत एम.पी.आर. बॉक्स में अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2019 से सम्बन्धित सूचना आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेरणा प्रणाली पर अनिवार्यतः अंकित की जायेगी।**

(3) **''उपस्थिति''मॉडयूल** के अन्तर्गत विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय ऐप के माध्यम से शिक्षकों द्वारा स्वयं की फोटो अपलोड कर उपस्थिति तथा संख्या अंकित किये जाने की व्यवस्था है। साथ ही प्रार्थना सभा एवं मध्यान्ह भोजन के समय छात्र–छात्राओं की ग्रुप फोटो अपलोड कर उपस्थिति अंकित किये जाने के आदेश प्रदत्त हैं।

उक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रत्येक विद्यालय के लिए विभिन्न गतिविधियों हेतु प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक के निवर्तन पर एक टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में क्रय प्रक्रिया गतिमान है। टैबलेट उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स्वयं के माध्यम से वर्तमान में अपलोड की जा रही उपस्थिति उपलब्ध कराये गये टैबलेट के माध्यम से दर्ज की जानी अनिवार्य रहेगी।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

04/10/19

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
7. निदेशक, समाज कल्याण,उ0प्र0 लखनऊ।
8. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)

अनु सचिव।